

दिल्ली राजपत्र
Delhi Gazette

सत्यमेव जयते

असाधारण
EXTRAORDINARY
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 311]	दिल्ली, बृहस्पतिवार, अगस्त 17, 2017/श्रावण 26, 1939	[रा.रा.रा.क्षे.दि. सं. 214
No. 311]	DELHI, THURSDAY, AUGUST 17, 2017/SRAVANA 26, 1939	[N.C.T.D. No. 214

भाग—IV
PART—IV

राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार
GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

व्यापार एवं कर विभाग
(जी.एस.टी. नीति शाखा)

अधिसूचना

दिल्ली, 16 अगस्त, 2017

सं. 01/2017-राज्य कर

सं.फा. 02(3)/नीति-जी. एस.टी./2017/658-69.—भारत सरकार द्वारा जारी अधिसूचना सं. 18/2017, दिनांक 08.08.2017, 19/2017, दिनांक 08.08.2017, 20/2017 दिनांक 08.08. 2017 जिसके द्वारा जीएसटीआर-1, जीएसटीआर-2, जीएसटीआर-3 फाइल किए जाने की तारीख बढ़ाई गई है, एवम अधिसूचना सं. 21/2017 दिनांक 08.08.2017 जिसके द्वारा जीएसटीआर-3 ख भरी जानी है, के अनुसरण में, मै, एच. राजेश प्रसाद, आयुक्त, राज्य कर, दिल्ली माल और सेवाकर नियम, 2017 के नियम 61 के उपनियम (5), के साथ पठित दिल्ली माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 3) की धारा 39 की उप धारा(6) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एवम उक्त अधिनियम की धारा 37 की उप-धारा(1) का तृतीय प्रोविसो, धारा 38 की उप-धारा(2) का द्वितीय प्रोविसो एवम धारा 39 की उप-धारा(6) का प्रोविसो, जोकि यथोचित परिवर्तनों सहित लागू है, यह विनिर्दिष्ट करता हूँ कि नीचे की सारणी के स्तंभ (2) में यथाविनिर्दिष्ट मास के लिए विवरणी, प्ररूप-जीएसटीआर-3ख में इलैक्ट्रानिक रूप से सामान्य पोर्टल के माध्यम से उक्त सारणी के स्तंभ (3) में की तत्स्थानी प्रविष्टि में यथाविनिर्दिष्ट तारीखों से पूर्व दी जाएगी, अर्थात्:—

सारणी

क्रम सं.	मास	जीएसटीआर-3ब फाइल किए जाने की तारीख
(1)	(2)	(3)
1.	जुलाई, 2017	20 अगस्त, 2017
2.	अगस्त, 2017	20 सितंबर, 2017

2. यह अधिसूचना तत्काल प्रभाव से लागू होगी।

एच. राजेश प्रसाद, आयुक्त, राज्य कर

DEPARTMENT OF TRADE AND TAXES

(GST-POLICY BRANCH)

NOTIFICATION

Delhi, the 16th August, 2017

No. 01/2017-State Tax

No. F. 2 (3)/Policy-GST/2017/658-69.—In pursuance to notifications no.18/2017 dated 08.08.2017, 19/2017 dated 08.08.2017, 20/2017 dated 08.08.2017 issued by Government of India, extending the date for filing GSTR-1, GSTR-2, GSTR-3 and notification no. 21/2017 dated 08.08.2017, regarding the requirement to file return in Form GSTR-3B, I, H. Rajesh Prasad, Commissioner, State Tax, Delhi, in exercise of the powers conferred by sub rule (5) of rule 61 of the Delhi Goods and Services Tax Rules, 2017, read with sub section (6) of Section 39 of Delhi Goods and Services Tax Act, 2017 with third proviso to sub section(1) of Section 37, second proviso to sub Section(2) of Section 38 and proviso to sub section(6) of Section 39 of the Act applying mutatis mutandis, hereby specifies that the return for the month as specified in column (2) of the Table below shall be furnished in FORM GSTR-3B electronically through the common portal before the dates as specified in the corresponding entry in column (3) of the said Table, namely:—

TABLE

Serial Number	Month	Date for filing of GSTR-3B
(1)	(2)	(3)
1.	July, 2017	20 th August, 2017
2.	August, 2017	20 th September, 2017.

2. This notification shall come into force with immediate effect.

H. RAJESH PRASAD, Commissioner, State Tax